कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2024–25/2515 दिनांक :– 29.8.24

–:: ई–नीलामी सूचना ::–

–:: पालिका की अनुमोदित बालाजी नगर (आई.डी.एस.एम.टी.) व्यावसायिक योजना के दुकान प्रयोजनार्थ व्यावसायिक भूखण्ड खरीदने का सुनहरा अवसर ::–

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि नगर पालिका रावतभाटा द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत इस कार्यालय की अनुमोदित बालाजी नगर (आई.डी.एस.एम.टी.) व्यावसायिक योजना के दुकान प्रयोजनार्थ व्यावसायिक भूखण्डों को 99 वर्षीय लीज होल्ड राइट पर ई–नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जा रहे है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित भागीदारी शुल्क एवं धरोहर राशि (प्रति भूखण्ड) ऑनलाईन विभागीय वेबसाईट https://lsgeauction.rajasthan.gov.in अर्थात् LSG की ई–ऑक्शन पोर्टल पर एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से राशि जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते है। (नकद/चैक/डी.डी. के रूप में किसी भी प्रकार की राशि स्वीकार नहीं होगी) नीलामी की विस्तृत शर्ते व नियम भी ऑनलाईन ई–ऑक्शन पोर्टल (एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से) व कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं पालिका की वेबसाईट https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/ulbrawatbhata पर देखी जा सकती है।

अतः जो भी व्यावसायिक भूखण्ड (दुकान प्रयोजनार्थ) क्रय करने के इच्छुक हो, वह निर्धारित दिनांक व समय पर ई–नीलामी के माध्यम से बोली लगा सकते है।

नोट :– (1) धरोहर राशि दिनांक 02.09.2024 से प्रातः 10 बजे से नीलामी दिनांक से एक दिवस पूर्व तक सायं 5 बजे तक ऑनलाईन जमा की जावेगी।

(2) भूखण्डो की ई–नीलामी निर्धारित दिनांक (कॉलम संख्या 02 के अनुसार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक की जावेगी। (अन्तिम 5 मिनट में बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में बोली स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।)

बालाजी नगर (आई.डी.एस.एम.टी.) व्यावसायिक योजना के व्यावसायिक भूखण्डों (दुकान प्रयोजनार्थ) का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रं. सं.	नीलामी की दिनांक व समय	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड की साईज एवं क्षेत्रफल	आरक्षित दर (लीज राशि गणना के लिये) प्रति वर्गफीट	न्यूनतम सरकारी बोली (प्रति वर्गमीटर)	धरोहर राशि 2 प्रतिशत की दर से	धरोहर राशि जमा करने की दिनांक व समय
01	02	03	04	05	06	07	08
01	17.09.2024 प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक	S-14, S-15, S-16, S-17, S-18,	4.5X9 =40.50 Sqmtr.	858 /-	29275/-	23,713 /-	16.09.2024 सायं 5 बजे तक
02	18.09.2024 प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक	S-19, S-20, S-21, S-22, S-23,	4.5X9 =40.50 Sqmtr.	858 /-	29275/-	23,713 /-	17.09.2024 सायं 5 बजे तक
03	19.09.2024 प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक	S-24, S-25, S-26, S-27, S-28,	4.5X9 =40.50 Sqmtr.	858 /-	29275/-	23,713 /-	18.09.2024 सायं 5 बजे तक

लगातार....................2

मधुकंवर
अध्यक्ष
नगर पालिका रावतभाटा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रावतभाटा

SARVAJANIK SUCHANA

Scanned with CamScanner

04	23.09.2024 प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक	S-29, S-30, S-31, S-32,	4.5X9 =40.50 Sqmtr.	858 /-	29275/-	23,713 /-	22.09.2024 सायं 5 बजे तक
05	24.09.2024 प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक	S-33, S-34,	4.5X9 =40.50 Sqmtr.	858 /-	29275/-	23,713 /-	23.09.2024 सायं 5 बजे तक
		S-13 (Corner) S-35 (Corner)	4.5X9 =40.50 Sqmtr.	858 /-	32202/-	26,084 /-	23.09.2024 सायं 5 बजे तक
06	25.09.2024 प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक	S-1 (Corner) S-2, S-3, S-4, S-5,	3X6 = 18 Sqmtr.	858 /-	28000/-	10,080 /-	24.09.2024 सायं 5 बजे तक
07	26.09.2024 प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक	S-6, S-7, S-8, S-9, S-10 (Corner)	3X6 = 18 Sqmtr.	858 /-	28000/-	10,080 /-	25.09.2024 सायं 5 बजे तक

नोट :– नीलामी में शामिल किसी भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो मय दस्तावेजों के साथ कार्यालय में नीलामी दिनांक से पूर्व सम्पर्क करे बाद मियाद कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था की रहेगी।

नियम व शर्ते :–

1. भूखण्ड जहॉ है, जैसी स्थिति है, उसी के आधार पर नीलाम किये जायेगे, अलग से कोई वांछना मान्य नहीं होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता की अपनी स्वयं की SSO ID होना अनिवार्य है। नीलामी बोलीदाता नीलामी भागीदारी शुल्क एवं धरोहर राशि अपनी SSO ID से LOGIN कर G2C एप में LSG E-AUCTION लिंक पर अपनी प्रोफाईल बनाकर जमा करवाकर ही नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण पालिका की वेबसाईट *https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/ulbrawatbhata* पर देखा जा सकता है।
3. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु भागीदारी शुल्क (1500/– रूपये) प्रत्येक भूखण्ड की पृथक–पृथक रूप से देय होगी, जो नॉन रिफंड़ेबल व समायोजन योग्य नहीं होगी।
4. नीलामी लगाने से पूर्व बोलीदाता को प्रत्येक भूखण्ड हेतु निर्धारित धरोहर राशि पृथक–पृथक जमा होने पर ही बोली में भाग ले सकेगे। उक्त धरोहर (अमानत) राशि ऑनलाईन ही जमा करवाना अनिवार्य होगा।
5. यह भूमि विक्रय राजस्थान नगर पालिका (भूमि निष्पादन) नियम 1974 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत की जा रही है।
6. नीलामी बोली में कॉर्नर प्लॉट पर देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि नीलामी बोली प्रारम्भ की राशि में शामिल कर ही नीलामी आयोजित की जारी रही हैं।
7. जिस व्यक्ति के नाम भूखण्ड की अन्तिम नीलामी बोली समाप्त होगी, उस व्यक्ति के द्वारा भूखण्ड की कुल राशि की 15 प्रतिशत राशि नीलामी दिनांक से तीन कार्य दिवस के भीतर जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त राशि जमा कराने में विफलता के कारण बोलीदाता द्वारा जमा करवायी गई धरोहर राशि जप्त की जावेगी और भूखण्ड की नीलामी स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
8. अन्तिम नीलामी बोली उस समय तक अस्थायी रहेगी जब जक नीलाम समिति द्वारा बोली स्वीकार न कर ली जायें।

लगातार......................3

मधुकर
अध्यक्ष
नगर पालिका रावतभाटा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रावतभाटा

SARVAJANIK SUCHANA

Scanned with CamScanner

9. उपरोक्त नीलामी पालिका द्वारा गठित कमेटी नीलाम समिति के पर्यवेक्षण में सम्पादित की जावेगी, समिति की अभिशंषा पर ही नीलामी बोली स्वीकार/अस्वीकार का निर्णय लिया जावेगा।
10. सफल बोलीदाता द्वारा बोली की बकाया राशि 35 प्रतिशत नीलामी दिनांक से 120 दिवस के भीतर जमा कराना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में 35 प्रतिशत राशि जमा कराने में विफल रहता है तो उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद अगले 60 दिनों में या विस्तारित समयावधि के भीतर शेष राशि पर नीलामी दिनांक से 09 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित राशि जमा करवा सकेगा।
11. सफल बोलीदाता नीलामी दिनांक से 180 दिन के भीतर बोली की शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करवाना आवश्यक होगा, यदि बोलीदाता नीलामी दिनांक से 180 दिवस के भीतर शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने में विफल रहता है तो उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद 90 दिवसों में नीलामी दिनांक से 09 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित राशि जमा करवा सकेगो। विस्तारित समयावधि के भीतर बोलीदाता राशि जमा करवाने में विफल रहता है तो विफलता के मामले में प्रारम्भ में जमा की गई समस्त राशि जप्त की जावेगी और नीलामी स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
12. यदि सफल बोलीदाता डिमाण्ड नोटिस (मांग पत्र) के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि जमा करवाता है तो उसे बोली राशि की 1 प्रतिशत छूट दी जावेगी। भूखण्डों की सम्पूर्ण राशि ऑनलाईन जमा कराना अनिवार्य होगा।
13. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि का समायोजन 50 प्रतिशत राशि जमा करवाते समय कर लिया जावेगा।
14. भूखण्ड 99 वर्षीय लीजहोल्ड पर अरबन असूसमेन्ट/ग्राउण्ड रेन्ट के आधार पर विक्रय किया जावेगा। जिसकी लीज राशि आरक्षित दर पर व्यावसायिक की 5 प्रतिशत नियमानुसार क्रेता को जमा करानी होगी। एकमुश्त 8 वर्षीय जमा कराने पर भूखण्ड को लीज मुक्त किया जायेगा।
15. लीज डीड शाश्वत पत्र का विधिवत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जिसके स्टाम्प, नक्शा एवं रजिस्ट्री आदि का व्यय क्रेता का होगा।
16. बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पालिका रावतभाटा के पास सुरक्षित रहेगा। जिसका कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
17. बोली लगाने के दौरान किसी भी भूखण्ड में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस भूखण्ड की बोली स्थगित/निरस्त करने का अधिकार नगर पालिका द्वारा गठित नीलाम समिति में निहित होगा।
18. नीलामी दिनांक से तीन वर्ष अवधि के अन्दर नियमों के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृति व नक्शानुमोदन प्राप्त कर क्रेता को भवन निर्माण करवाना होगा। यदि तीन वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं करवाया गया तो नियमानुसार विस्तारित अवधि में निर्माण करवाना आवश्यक होगा अन्यथा बाद अवधि भूखण्ड की नीलामी द्वारा आंवटन स्वतः ही निरस्त मान्य होगा।
19. ई–ऑक्शन में अधिकतम दर स्वीकृति पर नीलाम समिति द्वारा किया जावेगा।
20. अन्य सभी राजकीय नियमों/आदेशों (समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधानों) की पालना क्रेता को करनी होगी तथा भविष्य में इन भूखण्डों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई नियम/उपनियम लागू किये जावेगे तो वह मान्य होगे।
21. स्वीकृत बोलीदाता को भूखण्ड का कब्जा सम्पूर्ण राशि जमा कराने के उपरान्त ही कब्जा दिया जायेगा, सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का निर्माण एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियॉ पूर्ण रूप से अवैध होगी।
22. नीलामी बोली समाप्त होने की अन्तिम 05 मिनट में निरन्तर बोली प्राप्त होने की स्थिति में अगले 05 मिनट तक समय बढता रहेगा। बढाये गये 05 मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो नीलामी बोली स्वतः ही बन्द हो जायेगी।
23. उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि जिस प्रक्रिया के माध्यम से जमा ली जावेगी, उसी प्रक्रिया के माध्यम से लौटा दी जावेगी।
24. ई–नीलामी में प्रत्येक बोली भूखण्डो में न्यूनतम 100/– रूपये प्रति वर्गमीटर के गुणांक में बढाया जाना होगा।
25. बोलीदाता ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व साईट विजिट कर सकते हैं। साईट विजिट हेतु पालिका सहायक अभियन्ता श्री शक्तिसिंह राणावत (मो.नं. 9982909988) एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री अरविन्द तोमर (मो.नं. 7734815011) से सम्पर्क कर कार्य दिवसों में विजिट कर सकते है।
26. उपरोक्त भूखण्ड़ो का मौके पर क्षेत्रफल कम या ज्यादा होने की स्थिति में उसके आधार पर ही राशि करानी होगी।

मधुकंवर
अध्यक्ष
नगर पालिका रावतभाटा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रावतभाटा

लगातार.................4

Scanned with CamScanner

27. भूखण्ड़ का कब्जा लीज ड़ीड़ (पट्टा) जारी होने के 10 दिवस में प्राप्त करना होगा अन्यथा भौतिक कब्जा स्वतः ही प्राप्त किया जाना मान्य होगा।
28. लीज डीड (पट्टा) का निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराकर पंजीयन की प्रति पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
29. ई–नीलामी से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिये कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा में सम्पर्क करे। सम्पर्क सूत्र श्री चौथमल शर्मा, वरिष्ठ सहायक (मो.नं. 9414783559), श्री अमित सिंह, कनिष्ठ सहायक (मो. नं. 9461058762)।

नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक निर्देश :–

1. नगर पालिका रावतभाटा द्वारा आयोजित व्यावसायिक भूखण्डों की ई–नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने हेतु विभागीय वेबसाईट *https://lsgeauction.rajasthan.gov.in* पर क्लिक करे।
2. इसके पश्चात् ई–नीलामी में ऑनलाईन भाग लेने के लिए क्लिक करें, इसके उपरान्त SSO ID विण्डो ओपन होगी।
3. SSO ID से Login कर LSG E-AUCTION एप पर अपनी प्रोफाईल बनाकर नीलामी में भाग ले सकते है।
4. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए दूरभाष नं0 9461058762 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ई–नीलामी पोर्टल पर आवेदक को अपनी बिडिंग प्रोफाईल, आवश्यकता अनुसार दस्तावेजों एवं सिस्टम द्वारा चाही गई सूचनाओं को अद्यतन (Upload) किया जाना होगा। अतः आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व उक्तानुसार प्रक्रिया समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करे। प्रोफाईल अनुमोदित होने के पश्चात् ही बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने योग्य होगा।
5. नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तो की जानकारी कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा में सम्पर्क कर एवं वेबसाईट *https://lsgeauction.rajasthan.gov.in* पर देखी जा सकती है।

मधुकंवर

(मधु कंवर हाडा)
अध्यक्ष
नगर पालिका, रावतभाटा

अध्यक्ष
नगर पालिका रावतभाटा

(मुकेश नागर)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रावतभाटा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रावतभाटा

क्रमांक/नपारा/भूमि/ 2024–25/2516-26 दिनांक :– 29.8.24

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत शासन विभाग, जयपुर (राज0)।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़ को सूचनार्थ।
3. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर (राज0)।
4. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, रावतभाटा।
5. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, रावतभाटा।
6. श्रीमान् अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका, रावतभाटा।
7. समस्त सदस्यगण, नीलाम समिति, नगर पालिका, रावतभाटा।
8. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका रावतभाटा को भेजकर लेख है कि उक्त ई–नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की सुनिश्चितता करे, साथ ही उपरोक्त सभी भूखण्डों के अनुमोदित ले–आउट प्लान अनुसार साईट प्लान तैयार कराकर 3 दिवस में भूमि शाखा में प्रस्तुत करवायेगे तथा नीलामी से 2 दिवस पूर्व नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखण्डों पर साईट प्लान अनुसार चुना लाईन डलीवाकर डिमार्केशन सुनिश्चित करना होगा।
9. प्रभारी, स्टोर शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त ई–नीलामी सूचना के आवश्यकतानुसार पेम्पलेट एवं फलेक्स/बैनर 20X10 के बनवाकर पालिका एवं अन्य क्षेत्रों में उक्त ई–नीलामी की सूचना का प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेगे।
10. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका कार्यालय/उपखण्ड कार्यालय/तहसील कार्यालय एवं शहर के मुख्य चौराहो पर चस्पा हेतु।
11. सुरक्षित प्रति।

(मुकेश नागर)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रावतभाटा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रावतभाटा

SARVAJANIK SUCHANA

Scanned with CamScanner